संख्या-6/2026/ए029-20252026-001-83(1895366 टी.सी.)

प्रेषक,

राज कुमार झा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 12 मार्च, 2026

विषय:- अनुदान सं0- 21 के लेखाशीर्षक 2408 के 49-चिकित्सा व्यय में अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 80.00 लाख की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-ले0शा0/2131/ई-143414/2408-पुर्न0वि0/2025, दिनांक 25 फरवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-21 के "लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति) के 49-चिकित्सा व्यय में धनराशि रू0 80.00 लाख की व्यवस्था कराते हुए उसकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति) की मानक मद संख्या-01-वेतन की मद में सम्भावित हो रही बचत धनराशि रू0 80.00 लाख से लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति) के मानक मद संख्या- 49-चिकित्सा व्यय में धनराशि रू0 80.00 लाख (अस्सी लाख मात्र) की अतिरिक्त व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार कराते हुए उसकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने एवं प्रश्नगत धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा समस्त औपचारिकताओं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(7) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(9) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(10) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं 01 अगस्त, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष: 2408010010300 (अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	49 चिकित्सा व्यय	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
	कुल			80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
महायोग				80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश ई-आफिस के कम्प्यूटर नं0-1895366 टी.सी. की पत्रावली में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

राज कुमार झा
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन,15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in